

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2673
05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: एकीकृत बागवानी विकास मिशन

2673. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:

श्री चिन्तामणि महाराज:

श्री विनोद लखमशी चावड़ा:

श्री भोजराज नाग:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत शीतागारों की स्थापना के लिए ऋण सहायता प्रदान की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने फलों और सब्जियों के लिए शीतागार सुविधाओं की मांग और उपलब्धता के संबंध में कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने फसलोपरान्त प्रसंस्करण और शीत श्रृंखला अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या उक्त राजसहायता योजना के लिए दिशानिर्देशों, दस्तावेजीकरण संबंधी आवश्यकताओं और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कोई नए उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): देश में संस्थागत ऋण को सुगम बनाने और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने हेतु, सरकार ने 1.00 लाख करोड़ रुपये के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) का शुभारंभ किया है। एआईएफ के अंतर्गत, 2.00 करोड़ रुपये तक के कोलैट्रल-फ्री सावधि ऋण और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना सहित फसलोपरान्त इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हेतु लिए गए सावधि ऋण पर 3% ब्याज अनुदान का प्रावधान है।

(ख): नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (एनएबीसीओएनएस) द्वारा वर्ष 2015 में "ऑल इंडिया कोल्ड-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी (एआईसीआईसी-2015)" पर किए गए अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2014 में कोल्ड स्टोरेज की 318.23 लाख मीट्रिक टन की उपलब्ध क्षमता की तुलना में कोल्ड स्टोरेज की आवश्यक क्षमता 351.00 लाख मीट्रिक टन थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्तमान में, देश में 8815 कोल्ड स्टोरेज हैं जिनकी क्षमता आज दिनांक तक 402.18 लाख मीट्रिक टन है। कोल्ड स्टोरेज का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-1** में दिया गया है।

(ग): सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पूरे देश में नाशवान बागवानी उत्पादों सहित बागवानी उत्पादों के लिए फसलोपरांत प्रसंस्करण और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। एमआईडीएच के अंतर्गत, देश में पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रीजरेटेड ट्रांसपोर्ट, राईपनिंग चेंबर, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, द्वितीयक प्रसंस्करण इकाइयों सहित फसलोपरांत प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और केवल पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों हेतु खाद्य प्रसंस्करण की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई), प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) जैसी योजनाओं का भी कार्यान्वयन करता है, जिसमें इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडीशन इंफ्रास्ट्रक्चर के घटक शामिल हैं।

(घ): विभिन्न इनपुट और सामग्री लागत, उन्नत मशीनरी और नई प्रौद्योगिकियों की कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तथा स्टैकहोल्डर्स से प्राप्त सुझावों के आधार पर, एमआईडीएच की ऑपरेशनल गाइडलाइन्स को वर्ष 2025 में संशोधित किया गया है जिसमें राज्यों से प्राप्त सुझावों और प्रचलित बाजार मूल्यों को भी शामिल किया गया है। एमआईडीएच दिशानिर्देश, किसानों के लिए अधिक अनुकूल हैं, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को अपनाया गया है।

दिनांक 30.06.2025 तक देश में कोल्ड-स्टोरेज का राज्यवार वितरण

क. सं.	राज्य का नाम	सं.	क्षमता (एमटी)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	4	2210
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	480	1996340
3	अरुणाचल प्रदेश	2	6000
4	असम	45	212662
5	बिहार	316	1490200
6	चंडीगढ़ (यूटी)	7	12462
7	छत्तीसगढ़	132	586863
8	दिल्ली	97	129857
9	गोवा	29	7705
10	गुजरात	1023	4042770
11	हरियाणा	387	886656
12	हिमाचल प्रदेश	89	181318
13	जम्मू एवं कश्मीर	96	382564
14	झारखंड	60	250077
15	कर्नाटक	271	930379
16	केरल	202	96655
17	लक्षद्वीप (यूटी)	1	15
18	मध्य प्रदेश	341	1498651
19	महाराष्ट्र	672	1259932
20	मणिपुर	2	4500
21	मेघालय	4	8200
22	मिजोरम	3	4071
23	नागालैंड	5	8150
24	ओडिशा	182	579321
25	पुदुचेरी (यूटी)	4	185
26	पंजाब	780	2642715
27	राजस्थान	192	661876
28	सिक्किम	2	2100
29	तमिलनाडु	188	399690
30	तेलंगाना	117	627131
31	त्रिपुरा	14	46354
32	उत्तर प्रदेश	2489	15101408
33	उत्तराखंड	62	206848
34	पश्चिम बंगाल	517	5952997
		8815	40218862

(स्रोत: विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) 2009 तक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच)) और खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय